हुक्मनामा अज अदालत श्री उपखण्ड अधिकारी डूंगॅला

क्रमांक 13

दिनांक :– 2/2/22

श्रीमती पुष्पा कुंवर पत्नी शंभुसिंह जी राजपूत, उम्र 47 साल निवासी भूरक्या खुर्द तहसील– डूंगॅला, जिला– चित्तौड़गढ़ राज.

..................प्रार्थीया

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता पृथ्वीराज जी मेनारिया उम्र वयस्क
2. श्रीमती मोतीया बाई पत्नी श्री उदयलाल मेनारिया उम्र वयस्क
3. श्री किशनसिंह पिता भोलसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क
4. श्री रामेश्वरलाल पिता हरलाल जी मेनारिया उम्र वयस्क

समस्त निवासियान भुरक्या खुर्द तहसील डूंगॅला, जिला चित्तौड़गढ़ राज.

..................विपक्षीगण

आदेश अन्तर्गत धारा 128 राज. भु.राजस्व अधिनियम

वास्ते :– तहसीलदार डूंगला

जो कि प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी की खतोनी सं 96 मे दर्ज आराजी सं. 88 रकबा 1.0600 हैक्टेयर गांव भुरक्या खुर्द पटवार हल्का बिलोट तहसील–डूंगॅला मे स्थित है उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रार्थी के हक हिस्से मे निहित है ओर विपक्षीगण उपरोक्त आराजियात के पड़ोसी है जो सीमाओं को नही मानते है तथा विवाद करते है इसलिए प्रार्थीया अपनी आराजी की मुक्कमिल नपती करवा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है ।

बहस सुनी गयी पत्रावली नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया, अतः यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी की बिना किसी के कब्जे मे बाधा पहुॅचाये मुक्कमिल तौर पर नपती सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करे, तथा नियमानुसार फिस रुपया 1000/- अक्षरे एक हजार रु. प्रार्थीया से वसुल कर राजकोष मे जमा करें व पर्चा मौका प्रस्तुत [illegible] तक न्यायालय हाजा मे पेश करें।

अतः यह हुक्मनामा आज [illegible] 2022 को न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर के जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2022.03.22 13:22:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डूंगॅला